प्रेस विज्ञप्ति

15/06/2026

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत अपराधों के संबंध में रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजी) के समूह प्रबंध निदेशक (जीएमडी) श्री सतीश सेठ एवं श्री गौतम भैलाल दोशी को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह से संबंधित चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 12.06.2026 को सतीश सेठ तथा गौतम भैलाल दोशी को गिरफ्तार किया है। सतीश सेठ को मेसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज ईसीआईआर में गिरफ्तार किया गया है, जबकि गौतम दोशी को मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज ईसीआईआर में गिरफ्तार किया गया है।

सतीश सेठ लंबे समय से रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजी) से जुड़े रहे हैं तथा समूह प्रबंध निदेशक के पद पर रहते हुए समूह की विभिन्न कंपनियों के प्रमुख वाणिज्यिक एवं वित्तीय निर्णयों पर नियंत्रण रखते थे। वे अवसंरचना, विद्युत तथा संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत समूह की अनेक कंपनियों में निदेशक के पद पर भी रहे हैं। सतीश सेठ वर्ष 2000 से मेसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में महत्वपूर्ण निदेशकीय एवं प्रबंधकीय पदों पर आसीन रहे हैं।

गौतम भैलाल दोशी भी लंबे समय से रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजी) से जुड़े रहे हैं, जहाँ वे समूह प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे तथा समूह की विभिन्न कंपनियों के कराधान, नियोजन एवं अनुपालन, जोखिम प्रबंधन आदि से संबंधित मामलों पर नियंत्रण रखते थे। वे मेसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड में निदेशक भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वे आरएएजी समूह की भारत तथा विदेश स्थित अनेक कंपनियों के बैंक खातों के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी थे।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह भी उजागर हुआ है कि सतीश सेठ मेसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा निष्पादित सड़क निर्माण परियोजनाओं से सार्वजनिक धन के अपवर्तन में प्रमुख रूप से संलिप्त रहे हैं। वहीं, गौतम भैलाल दोशी ने मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड तथा मेसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड से अपराध से अर्जित आय के अपवर्तन के लिए प्रयुक्त कॉर्पोरेट ढांचे के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सतीश सेठ को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), ग्रेटर बॉम्बे, महाराष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ माननीय न्यायालय द्वारा उनका ट्रांजिट रिमांड प्रदान किया गया। इसके उपरांत, उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), द्वारका, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें 6 दिनों की अवधि हेतु प्रवर्तन निदेशालय की अभिरक्षा (कस्टडी) में भेजा गया।

गौतम भैलाल दोशी को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), राउज एवेन्यू, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें 5 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की अभिरक्षा में भेज दिया गया।

मामले में आगे की जांच जारी है।